


SW
107-2023
AB



न्यायालय-अनिल कुमार बारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान
जगदलपुर (छ0ग0)

// रिमाण्ड आदेश //

क्रमांक क्यू / मु0न्या0मजि0 / 2023

जगदलपुर दिनांक-02/02/2023

मैं अनिल कुमार बारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान-जगदलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्वारा आदेश जारी करता हूँ कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित **माह-फरवरी 2023** के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

माह- फरवरी 2023

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	श्रीमति अनिता ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	05, 11, एवं 12/02/2023
02	श्रीमति मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	18, 19 एवं 26/02/2023

नोट :-

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर माह **फरवरी 2023** में श्रीमति अनिता ध्रुव, श्रीमति मीनाक्षी नाग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमती से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

दिनांक-02.02.2023

स्थान-जगदलपुर

(अनिल कुमार बारा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर

प्रतिलिपि

- 1- प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2- कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर।
- 3- श्रीमति अनिता ध्रुव, श्रीमति मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- श्री अजय सिंह मीणा, श्री मनीष कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
- 6- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर स्थान जगदलपुर।
- 7- नजारत विभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- जिला अभियोजन अधिकारी, जिला बस्तर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ कि रिमाण्ड ड्यूटी के दिन किसी एक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी लगावें।
- 9- पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र/चौकी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
- 10- रक्षित निरीक्षक, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ तथा न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहररि को रिमाण्ड ड्यूटी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखने सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार बारा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर